आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ

विवाह स्थलों के सम्बन्ध में कानून

शादी-विवाह व अन्य समारोहों के लिए ठेकेदारों के माध्यम से आवासीय परिसर किराए पर दिए जा रहे हैं। आयोग ने इनके सम्बन्ध में कानून बनाने के लिए नगरपालिकाओं व अन्य स्थानीय निकायों को लिखा। इसके बाद सम्बन्धित पार्टीज को सुनकर नगर निगम, जयपुर ने इस सम्बन्ध में कानून बनाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली व सरकार को कानूनी सहमति के लिये भेज दी।

बच्चे देश का भविष्य

बच्चे देश का भविष्य हैं। उनके सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ चित्रकला एवं खेलकूद जैसी सहशैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना जरूरी है। इससे प्रतिभा निखरेगी व आत्मविश्वास विकसित होगा और समभाव से देश प्रेम की भावना भी जागृत होगी। बच्चों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के अनेक दिशा-निर्देश हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए अभिभावक एवं समाज को समन्वित प्रयास करना चाहिए। इसके लिए शिक्षा का प्रसार भी आवश्यक है।

- आयोग के निर्देश पर बाल श्रमिकों की परियोजना बनी, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए कमेटी गठित हो गई है।
- अनुराग संगीत संस्थान द्वारा जनवरी में नेत्रहीन एवं विकलांग बालकों के मानवाधिकार तथा नेत्रहीन बालकों की राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 1500 नेत्रहीन बच्चों ने भाग लिया।

हर नागरिक को मिले स्वास्थ्य सुविधा

कल्याणकारी राज्य होने के कारण राज्य के सभी नागरिकों खासकर बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए अस्पतालों में सभी उपकरण एवं मशीनें ठीक हों, इससे ही अस्पतालों का उद्देश्य सफल हो सकेगा। आयोग ने इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर राज्य के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में आए दिन जांच

उपकरण खराब होने की जानकारी मिलने पर सम्बन्धित अधिकारियों से इसका कारण पूछा।

अस्पतालों में जांच उपकरणों के साथ ही गहन चिकित्सा इकाई में रोगी को तुरन्त उपचार मुहैया कराने के लिए आवश्यक आपातकालीन दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए। मुख्य सचिव अनिल वैश्य के अचानक बीमार होने के दौरान उन्हें कुछ दवाइयां तुरन्त उपलब्ध नहीं हो पाई व बाहर से मंगाई। आयोग ने इस बारे में समाचार पत्रों में छपी खबर के आधार पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया और इस स्थिति में सुधार के उद्देश्य को लेकर प्रमुख स्वास्थ्य सचिव से जवाब मांगा।

इसी तरह फर्जी तरीके से चिकित्सा मंत्री डॉ. दिगम्बर सिंह का बीमारी का प्रमाण पत्र बनने के मामले में भी आयोग ने वस्तुस्थिति की जानकारी ली।

आयोग व राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसायटी जयपुर के तत्वावधान में एच.आई.वी./एड्स एवं मानवाधिकार विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें ऑपरेशन के दौरान प्रत्येक रोगी, गर्भवती महिलाओं का इस बीमारी का परीक्षण कराने पर जोर देने पर प्रमुखता से चर्चा हुई। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने कार्यशाला में कहा कि आयोग में पिछले दिनों दो-तीन मामले एच.आई.वी./एड्स से संबंधित आए। इस पर एड्स रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रमों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए और निदेशक (एड्स) से हर दो माह में आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। जैन ने कहा कि यदि हम समर्पण के साथ एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों को चलाएं तो यह मानवता के प्रति महान कार्य होगा। कार्यशाला में प्रमुख चिकित्सकों के अलावा आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति जगत सिंह एवं सदस्य डी.एस. मीणा ने भी भाग लिया।

अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर राजधानी जयपुर में प्रमुख कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह, गृहमंत्री श्री गुलाबचन्द कटारिया एवं यू.एस. एसोसिएशन के डॉ. सुरेश श्रीवास्तव ने भाग लिया। राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से भी इस उपलक्ष में कुलपति डॉ. एन.के. जैन की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन किया गया।

पेंशनर्स दिवस पर 17 दिसम्बर को पेंशनर्स वेलफेयर सोसायटी द्वारा पेंशनर्स एवं मानवाधिकार पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, इसमें विधायक श्री वीरूसिंह राठौड़, श्री सुरेन्द्र पारीक एवं पेंशनर्स सोसायटी के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने भाग लिया।

नवम्बर 2005 में संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा जिला कलक्टर, अलवर एवं जिले के विभिन्न के अधिकारियों, एडवोकेट, एमएलए, पीएनजी, एन.जी.ओ., बुद्धिजीवियों एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के साथ मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता के लिए अलवर में गोष्ठी का आयोजन किया, इसमें आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने भी भाग लिया। इसी तरह की गोष्ठी पहले राजधानी जयपुर में आयोजित की गई। इसमें जिले के प्रमुख अधिकारियों ने अपने विचार रखे।

जेलों का वातावरण सुधारा जाए

25 फरवरी, 2006

राज्य मानवाधिकार आयोग एवं कारागार महानिदेशालय की ओर से सचिवालय में 'कारागार एवं मानवाधिकार' विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। गृहमंत्री गुलाबचन्द कटारिया ने छोटी बालिकाओं से बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि संगीन अपराध करने वालों को कठोर सजा आवश्यक है। चैन तोड़ने वाले जमानत लेकर फिर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बंदियों की खुराक में सुधार करने पर विचार किया जाएगा।

राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने कहा कि जेलों का वातावरण सुधरने पर ही बंदी का आचरण सुधर सकता है। जेल में आते ही बंदी का स्वास्थ्य परीक्षण हो।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर.एस. चौहान ने कहा कि बंदियों को पैरोल पर छोड़ने की नीति लचीली होनी चाहिए। जेलों को अनुत्पादक मानकर पर्याप्त बजट का आवंटन नहीं किया जाता।

महानिदेशक (जेल) आर.एस. चौहान, मानवाधिकार आयोग सदस्य जगतसिंह व धर्मसिंह मीणा, विधि सचिव गुमान सिंह तथा वरिष्ठ पुलिस व जेल अधिकारी भी मौजूद थे।

आयोग समय-समय पर यह मंशा जाहिर कर चुका है कि बंदियों को बेहतर इंसान बनाने के लिए उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाना चाहिए। जेलों में बंदियों के मनोरंजन के लिए टेलीविजन, खेलकूद, लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। बंदियों को पेंटिंग, संगीत एवं योग सिखाया जाए। त्यौहारों का आयोजन भी जेलों में होना चाहिए। पुलिस महानिदेशक को गिरफ्तारी के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा डी.के. बसु प्रकरण में दिए निर्देशों की पालना की ओर ध्यान दिलाया।

आयोग की अन्य गतिविधियां

- बालवाड़ी के बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों व पेंशनभोगी लोगों से बच्चों में अच्छी शिक्षा के साथ नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों व अच्छे संस्कार देने पर चर्चायें की।
- आयोग द्वारा 'सौराष्ट्र लॉ यूनिवर्सिटी' के छात्रों को मानवाधिकार विषय पर आवश्यक जानकारी दी गई, छपी हुई सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया।
- भारतीय बाल कल्याण परिषद् के माध्यम से 14 नवम्बर, 2005 को राज्यभर के छात्र-छात्राओं ने सुन्दर चित्रकारी, दी लिटिल पाक्षिक स्कूल की 'बाल फुलवारी' द्वारा पर्यावरण विषय के विभिन्न पहलुओं को पोस्टरों/इश्तिहारों के माध्यम से अपने नन्हें-मुन्ने हाथों से प्रोजेक्ट किया तथा 10 दिसम्बर, 2005 को मानवाधिकार दिवस पर आयोजित समारोह में महावीर स्कूल के छात्र-छात्राओं, जिन्होंने मानवाधिकार विषय के विभिन्न पहलुओं को चित्रकला के माध्यम से प्रभावशाली रूप से प्रदर्शित किया, उक्त सभी इसके लिये बधाई के पात्र हैं।
- इसके अतिरिक्त ये सभी स्कूल भी यथा- आदिनाथ संस्थान, बाल शिक्षा मंदिर, बीएसएम पब्लिक स्कूल, श्री महावीर दिगम्बर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिन्होंने, विचार गोष्ठियों, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं अन्य कलाकृतियों के माध्यम से मानवाधिकार विषय पर जन-जागृति उजागर करने में मदद की, वे भी सराहना एवं बधाई के पात्र हैं।

आयोग में विचाराधीन परिवादों की स्थिति

दिनांक 30.06.2005 को 671 परिवाद लम्बित थे। वर्ष 2005-2006 में 3890 नये परिवाद दर्ज हुए, जिनमें से 32 परिवादों में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया। 3173 नये मामले, पुराने व री-हेयरिंग 848 कुल 4021 मामलों में तर्कसंगत निष्कर्ष कर प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। दिनांक 01.04.06 तक आयोग में 906 प्रकरण लम्बित हैं।

आयोग चाहता है

- विभिन्न विभागों के अधिकारी संवेदनशील होकर कार्य करें। जिससे मानवाधिकारों का हनन कम से कम हो।

- पानी व शौचालयों की जगह-जगह व्यवस्था हो। शौचालयों की सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाए।
- समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में बच्चों की सुविधाओं के लिए मिलने वाली राशि माली व रसोईए पर खर्च न हो, उनके लिए अलग से राशि की व्यवस्था हो।
- जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जयपुर अतिक्रमण रोके व नालों की बारिश के पहिले सफाई करावे।
- आवारा पशुओं का बेरोकटोक घूमना रुके। ऐसा नहीं करने पर आवारा पशु के कारण दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति के घायल होने अथवा मृतक के आश्रितों को सहायता राशि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निगम /नगरपालिका की होगी।
- नागरिकों को स्वच्छ पानी मिले। पर्यावरण नियंत्रण मंडल ध्यान रखें कि फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा एवं रसायन तालाब आदि में न जाए। कोई भी फैक्ट्री बिना सहमति व LTA Plant काम न करें-मण्डल नियमित रूप से उनकी मॉनिटरिंग करें व सफाई की समुचित व्यवस्था हो।
- राज्य सरकार आयोग को वित्तीय स्वायत्ता एवं अन्य सुविधाओं के साथ-साथ आयोग में रिक्त स्थानों की भर्ती की इजाजत देगी।

सुशासन के लिए मानवाधिकार हनन रोकना जरूरी

10 अक्टूबर 2005

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भास्कर राव ने मानवाधिकारों के हनन पर अंकुश को सुशासन का मूलमंत्र बताया। उन्होंने जयपुर प्रवास के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष एवं मद्रास व कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.के. जैन, आयोग के सदस्य एवं शासन के अन्य उच्चाधिकारीगण भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा डी.के. बसु के मामले में दिए निर्देशों की पालना का ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा कोई भी न्यायालय को अवमानना की शिकायत कर सकता है। पुलिस कर्मियों पर काम का बोझ अधिक होने की समस्या भी सामने आ रही है।

आयोग का मत है कि मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु सरकारी मशीनरी के साथ-साथ आम जनता का सहयोग एवं प्रिंट मीडिया की भी सकारात्मक भूमिका अति आवश्यक है।

मिलते-जुलते नाम से सावधान

'मानवाधिकार' के नाम पर एक दर्जन से अधिक संगठनों के प्रतिनिधियों के खिलाफ पैसे कमाने की शिकायतें मिली हैं। 'राष्ट्रीय मानवाधिकार विभाग' और 'मानवाधिकार संरक्षण मंच' नाम के गैर सरकारी संगठन भी चल रहे हैं। आयोग स्पष्ट कर देना चाहता है कि जयपुर स्थित राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की कोई अन्य शाखा अथवा कार्यालय राजस्थान में और नहीं है और न ही ऐसा कोई संगठन इस आयोग से संबद्ध है। ऐसे ही एक फर्जी संगठन के एक व्यक्ति ने स्वयं को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बताकर एक अन्य संस्थान का निरीक्षण भी कर लिया। राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रशासन से ऐसे संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये हैं।

आयोग जवाब चाहता है, क्यों-

- स्कूल जाने वाले मासूम बच्चे बस्तों के बोझ से दबे है।
- बालवाड़ी के बच्चे पांच साल से कम के हैं। उनके स्कूल का समय बड़े बच्चों के मुकाबले कम नहीं है।
- स्कूलों में बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है।
- स्कूलों में पीने का स्वच्छ पानी, शौचालय, मूत्रालय, साफ-सफाई एवं पंखे की व्यवस्था नहीं है।

आयोग के पदाधिकारियों द्वारा अस्पतालों, जेल, पुलिस थानों एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों, गौशालाओं एवं पशु चिकित्सालयों आदि का निरीक्षण किया या एवं मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाते रहे हैं।

आशा है कि न्यूजलेटर, विधिक साक्षरता एवं मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने में आम व्यक्ति एवं आयोग के मध्य एक सेतु का कार्य करेगा, जिससे मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य सुरक्षा

1. आपातकालीन सेवाओं में जीवन रक्षक औषधियां सभी रोगियों को अस्पताल से यथासमय निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिये श्री अनिल वैश्य (मुख्य सचिव) के प्रकरण संख्या 06/17/333 में आयोग ने दिनांक 12 मई, 2006 को आदेश पारित कर यह पूछा जाने पर कि आपातकालीन सेवाओं में ऐसी दवाओं को उपलब्ध कराने की क्या प्रक्रिया है व क्या मानदण्ड बनाया हुआ है तथा जून, 2005 से फरवरी, 2006 तक कितने रोगियों को आपातकालीन सेवाओं में संचालित मेडिकल स्टोर से आवश्यक जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध कराई गई? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट में आयोग को अवगत काराया कि औषधि भण्डार में उपलब्ध जीवन रक्षक औषधियां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मांग किये जाने पर निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाती है। जून, 2005 से फरवरी, 2006 तक रोगियों को उपलब्ध कराई गई ऐसी दवाइयों का विवरण भी आयोग को प्रेषित किया। राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह निर्णय लिया गया कि आयोग द्वारा भी निकट भविष्य में अस्पताल प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा मौके पर जाकर लिया जायेगा।

2. परिवाद संख्या 02/17/1594 में दिनांक 11 मई, 2006 को पारित कर चिकित्सकों द्वारा रोगियों को अनावश्यक आर्थिक भार डालने से बचाने के लिये कम कीमत की ऐसी जेनरिक दवाइयां, जो ज्यादातर जीवन रक्षा के काम में आती है, (अनुमोदित सूची के अनुसार) लिखने की अपेक्षा की गई।

3. गर्भ में लिंग परीक्षण कराकर 'कन्या भ्रूण हत्या' पर अंकुश रखने के लिये आयोग द्वारा परिवाद संख्या 04/17/257 में दिनांक 16 मई, 2006 को आदेश पारित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान से अपेक्षा की गई कि ऐसे मामले पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाये तथा उनके द्वारा की गई कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराया जाये।

4. आयोग की पहल पर प्राइवेट हॉस्पिटल में गंभीर बीमारी से ग्रस्त रोगी के इलाज पर अपनी आर्थिक हैसियत से अधिक रकम खर्च चुके परिजनों की मजबूरी एवं रोगी की गंभीर स्थिति को मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर राज्य के सवाई मानसिंह

चिकित्सालय में तुरन्त 'आईसीयू' में वेंटीलेटर उपलब्ध कराकर चिकित्सा मुहैया करवाने एवं पीड़ित की व्यवस्था का निवारण करने के लिये आयोग ने परिवाद संख्या 06/17/1385 में दिनांक 2 जून, 2006 के आदेश में उक्त प्राइवेट हॉस्पिटल एवं एस.एम.एस. हॉस्पिटल के इस मानवीय एवं संवेदनशील कार्यवाही की सराहना की गई।

5. आयोग के निर्देशों पर परिवाद संख्या 05/17/3038 में परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर द्वारा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत यौन रोगों के उपचार एवं नियंत्रण, परिवार स्वास्थ्य जागरण अभियान, रक्त सुरक्षा, स्वैच्छिक परामर्श एवं रक्त जांच केन्द्र, एच.आई.वी./एड्स एवं टी.बी. समन्वय कार्यक्रम, स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम, अवसरवादी संक्रमणों हेतु निःशुल्क औषधि वितरण, स्वास्थ्यकर्मियों हेतु बचाव आदि के बारे में की जा रही कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग के अवलोकनार्थ प्रेषित की गई।

परिवादों एवं व्यथित लोगों को राहत प्रदान करना

1. मकान मालिक द्वारा किरायेदार के साथ अमानवीय व्यवहार एवं मारपीट करने के मामले में प्रकरण संख्या 06/17/1637 में आयोग द्वारा तुरन्त प्रसंज्ञान लेकर पुलिस प्रशासन को आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने के लिये आदेश देकर पीड़ित पक्ष को राहत प्रदान करवाई गई एवं दोषी पक्ष को भी हिदायत दी गई।

2. यह देखने में आया है कि एफ.एस.एल. की रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण आयोग में विचाराधीन/सजायाप्ता एवं न्यायिक अभिरक्षा (कस्टोडियल डेथ) में मृत्यु से संबंधित मामले में आवश्यक विलम्ब होता है, जिसका मुख्य कारण स्टॉफ की कमी होना भी पाया गया है। स्टॉफ की पूर्ति के लिये सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह अतिशीघ्र वांछित कर्मियों का पदस्थापन करें।

3. आयोग ने सभी जिला कलक्टर व जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बाल विवाहों को रोकने की कार्यवाही करें एवं आयोग को सूचित करें।

4. मैला ढोने वालों को रोजगार और शुष्क शौचालय निर्माण निषेध अधिनियम के बावजूद यह प्रथा प्रचलित है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये

हैं कि मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिये क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है? तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करें।

5. महानिदेशक, कारागार, राजस्थान, जयपुर को कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बंदियों को देय सुविधाओं के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच आदि की कार्यवाही करें।

6. राज्यों द्वारा बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास से संबंधित कार्यवाही व उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.1997 के दिशा-निर्देशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की वास्तविक स्थिति।

7. आयोग ने ग्राम सायपुरा (जयपुर) के निवासियों के परिवाद संख्या 04/17/2016 में दिनांक 24.04.2006 को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर एवं जयपुर नगर निगम, जयपुर को निर्देश दिये कि ग्रामवासियों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर चालू करने के बाद ही कारकस प्लांट चालू किया जाये। अन्यथा दोनों विभाग सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में की गई कार्यवाही से आयोग को भी सूचित कराने हेतु कहा गया।

8. आयोग ने परिवाद संख्या 01/08/356 एवं 03/17/2423 में अंध विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की आँखों का पीरिडिकल चैक-अप व निःशुल्क उपचार के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 679/03 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप समय-समय पर विभागों द्वारा संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट लेने हेतु कहा, जिससे न्यायालय की अवमानना से बचा जा सके।

पुलिस थानों का निरीक्षण

1. आयोग द्वारा पाली जिले के सैंदड़ा, जोधपुर आदि पुलिस थानों का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा परिवाद संख्या 05/17/369 में दिये गये आदेशों की पालना में जयपुर शहर के गलतागेट, ट्रांसपोर्ट नगर, रामगंज थानों का आकस्मिक निरीक्षण कर 'डी.के. बसु' प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी प्राप्त की एवं आवश्यक सुझाव दिये गये।

❑ ❑

क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवाद/शिकायत पर आयोग द्वारा शीघ्र प्रभावी कार्यवाही हो?

यदि हाँ, तो कृपया अपने परिवाद/शिकायत में यथासंभव निम्न सूचना अवश्य अंकित करें :-

(क) पीड़ित व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम, जाति, निवास का पता/गाँव/शहर, डाकघर, पुलिस थाना, जिले सहित।

(ख) जिस व्यक्ति/अधिकारी/कार्यालय के विरुद्ध शिकायत है, उसका पूरा विवरण।

(ग) शिकायत/घटना/उत्पीड़न का पूरा विवरण (घटना, स्थान, तारीख, महीना, वर्ष सहित।

(घ) घटना की पुष्टि करने वाले साक्षियों के नाम-पते, यदि ज्ञात हो तो।

(ङ) घटना की पुष्टि करने में दस्तावेजी सबूत, यदि कोई हो तो।

(च) यदि किसी अन्य अधिकारी/कार्यालय/मंत्रालय को शिकायत भेजी हो तो उसका नाम एवं उस पर यदि कोई कार्यवाही हुई हो तो उसका विवरण।

(छ) क्या आपने पूर्व में इस आयोग या राष्ट्रीय आयोग में इस विषय में कोई शिकायत की है? यदि हाँ, तो उसका विवरण एवं परिणाम।

(ज) क्या इस मामले में किसी फौजदारी/दीवानी/राजस्व अदालत में या विभागीय कोई कार्यवाही हुई या लम्बित हैं? हाँ, तो उसका विवरण।

नोट : कृपया परिवाद/शिकायत पर हस्ताक्षर/अगुष्ठ चिन्ह लगाना नहीं भूलें।

परिवाद/शिकायत अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, जयपुर के पते पर भिजवाएं।

आयोग का संगठनात्मक संरचना (06.07.2005)

1.	न्यायमूर्ति एन.के. जैन	अध्यक्ष
2.	न्यायमूर्ति जगतसिंह	सदस्य
3.	श्री धर्मसिंह मीणा	सदस्य
4.	श्री पुखराज सिरवी	सदस्य
	श्री गिरीराज सिंह	सचिव

आयोग का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आयोग का सचिव है। आयोग के अन्वेषण कार्य के लिये महानिरीक्षक स्तर का एक पुलिस अधिकारी नियुक्त है।

सम्पर्क सूत्र :

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर

टेलीफोन : 0141-2227868 (अध्यक्ष)

2227565 (सचिव), 2227738 (फैक्स)।

E-mail : rshrc@raj.nic.in **Website :** www.rshrc.nic.in

Human Rights
Legal Literacy & Awareness Series - 6 4/2006

आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ

न्यायमूर्ति एन.के. जैन
चैयरपर्सन

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
एस.एस.ओ. बिल्डिंग
शासन सचिवालय, जयपुर

आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ

न्यायमूर्ति एन.के. जैन
चैयरपर्सन

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
एस.एस.ओ. बिल्डिंग
शासन सचिवालय, जयपुर

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जनोपयोगी प्रकाशन

मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार, जागरूकता एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जनोपयोगी प्रकाशन :-

1. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की पुस्तिका।
2. आयोग की कार्यविधि की जानकारी हेतु ब्रोसर।
3. राज्य आयोग के कार्य एवं उसमें निहित शक्तियां एवं प्रसंज्ञान लेने वाले प्रकरणों की जानकारी संबंधी लघु पुस्तिका।
4. मानवाधिकार संरक्षण लघु पुस्तिका।
5. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2000-2002.
6. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003.
*7. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004.
8. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005.
9. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006.
10. त्रैमासिक न्यूज लेटर संयुक्तांक/विशेषांक- 2005.
11. त्रैमासिक न्यूज लेटर अप्रेल 2006 से जून 2006.
12. लघु पुस्तिकाएं
    - (i) बालकों के अधिकार।
    - (ii) अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर।
    - (iii) एच.आई.वी. एड्स एवं मानवाधिकार।
    - (iv) मानवाधिकार और जैन धर्म।
    - (v) आयोग की कार्यविधि, शक्तियां एवं परिवादों की निरस्तारण प्रक्रिया।
    - (vi) आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ।
    - (vii) भारतीय संविधान की अनुच्छेद-21 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण'।
    - (viii) महिलाओं के अधिकार- संबंधित अधिनियमों की संक्षिप्त जानकारी।